विo प्राo (v) बैठक–10/19

131

बिहार सरकार

विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग

दिनांक–17.01.2020 को पूर्वाहन् 11:00 बजे प्रधान सचिव की अध्यक्षता में अभियंत्रण महाविद्यालय के प्राचार्यों की संपन्न विभागीय समीक्षात्मक बैठक की कार्यवाही।

---

1. उपस्थिति – संलग्न
2. बैठक की कार्यावली – संलग्न
3. बैठक में विचार–विमर्श उपरान्त निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

3.1 भवनादि, जलापूर्ति एवं विद्युत आपूर्ति के संबंध में।

i. संबंधित प्राचार्य अपने अपने संस्थानो में भवनादि से संबंधित निम्न बिन्दुओं पर स्पष्ट प्रतिवेदन ले–आउट प्लान के साथ विभाग को समर्पित करेंगे :–

(क) पुराने संस्थान के भवनों के जीर्णोद्धार के संबंध मे प्राचार्यों से प्राप्त प्रतिवेदन की समेकित सूची बना कर विभाग द्वारा अविलंब कार्रवाई आरंभ की जाये।

(ख) अतिरिक्त भवनादि के निर्माण हेतु प्राचार्यों द्वारा भूमि के कुल रकबा के साथ संपूर्ण परिसर मे निर्मित भवनों एवं खेल–कूद परिसर को दर्शाते हुए प्रस्तावित भवन (क्षमता सहित) के स्थान को चिन्हित कर ले–आउट बना कर विभाग को उपलब्ध कराया जाये। जल निकासी इत्यादि का निर्माण अगर नही हुआ हो अथवा इसके जीर्णोद्धार की आवश्यकता हो तो इस संबंध मे भी विभाग को प्रतिवेदित किया जाये।

(ग) नवनिर्मित भवनों में शेष बचे कार्यो के संबंध में प्राचार्यों से प्राप्त सूची की समेकित विवरणी तैयार कर विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाये।

(घ) भवन के अग्निरोधक बनाये जाने हेतु प्राचार्यों से प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर विभाग द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाय।

(ङ) जिन संस्थानों की चहारदीवारी का कार्य शेष है, चहारदीवरी निर्माण हेतु अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

(च) प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर समेकित विवरणी तैयार कर संस्थानों को निरीक्षण हेतु गठित समिति को भी उपलब्ध करा दी जाय, ताकि निरीक्षण के क्रम में इसका सत्यापन किया जा सके।

(छ) निर्मित भवनों के संबंध में प्राचार्य द्वारा यह बताया गया कि निर्मित भवन का अनुमोदित प्राक्कलन प्राप्त नहीं होने की स्थिति में जाँच कर हस्तगत किये जाने में कठिनाई हो रही है। प्रधान सचिव के स्तर से भवन निर्माण विभाग को इस आलोक में पत्र दिये जाने का निदेश प्राप्त हुआ।

(ज) नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय, नालन्दा के भवनादि के निर्माण के द्वितीय चरण हेतु विभाग स्तर से अविलम्ब कार्रवाई की जाय।

(झ) कटिपय संस्थानों में पुलिस निर्माण निगम के द्वारा प्री फैब भवनों के निर्माण हेतु निर्माण में तेजी लाये जाने हेतु विभाग स्तर पर अविलम्ब बैठक बुलाये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (एमo), प्रशाखा–4)

– 130 –

ii **गया अभियंत्रण महाविद्यालय :–**

(क) संस्थान में पहुँच पथ के लिये प्राचार्य द्वारा अविलम्ब ले–आउट के साथ प्रस्ताव विभाग को उपलब्ध कराया जाय।

(ख) भवन के निर्माण के पश्चात् बचे हुए कचड़े को हटाये जाने हेतु निदेश के स्तर से भवन निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता को पत्र दिये जाने का निदेश प्राप्त किया गया।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो०))

(ग) परिसर में कटे हुए लकड़ी की निलामी किये जाने हेतु प्राचार्य द्वारा गया वन प्रमंडल को पत्र देते हुए प्रतिलिपि समाहर्त्ता को भी दी जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया)

(ध) परिसर के सभी भागों में समेकित रूप से जलापूर्त्ति की योजना एवं प्रस्ताव प्राचार्य द्वारा विभाग को समर्पित किया जाय।

(अनुपालन–प्राचार्य, गया अभियंत्रण महाविद्यालय, गया)

(ड़) संस्थान में विद्युत आपूर्ति के संबंध में यह बताया गया कि तीन फेज विद्युत आपूर्ति हेतु आवश्यक राशि जमा कराये जाने के पश्चात भी विद्युत प्रमंडल द्वारा आवश्यक कार्यवाई नहीं की जा रही है। विभागीय स्तर से अनुश्रवण किये जाने एवं पत्र समाहर्त्ता, गया तथा भवन प्रमंडल, गया को विभाग स्तर से पत्र का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– निदेशक, उप निदेशक (यो०), एवं प्रशाखा–4)

iii कटिहार अभियंत्रण महाविद्यालय, कटिहार के भवनादि के निर्माण की गति अत्यन्त धीमी होने की सूचना प्राचार्य द्वारा दी गयी। इस संबंध में यह निदेश प्राप्त हुआ कि समेकित रूप से भवनादि के निर्माण की समस्या की सूची तैयार कर प्रधान सचिव के समक्ष रखा जाय जिसके आधार पर प्रधान सचिव, भवन निर्माण विभाग से वार्ता/बैठक कर निराकरण किया जा सके।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो०), एवं प्रशाखा–4)

iv **पूर्णिया अभियंत्रण महाविद्यालय** के प्राचार्य द्वारा चाहरदिवारी एवं लौह मुक्त पेयजल की आपूर्ति का कार्य यथा शीघ्र संपन्न कराने की आवश्यकता बतायी गयी। संयुक्त निदेशक (एम०) को यथाशीघ्र पत्राचार कर कराये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–उप निदेशक (यो०))

v **सहरसा अभियंत्रण महाविद्यालय** के नव–निर्मित भवन में विद्युत आपूर्ति का कार्य शेष रह गया है। प्राचार्य को यह निदेश दिया गया कि यथाशीघ्र विद्युत आपूर्ति का कार्य पूर्ण करा लिया जाय। विभागीय स्तर पर भी अनुश्रवण किये जाने का

— 129

निदेश दिया गया। इस हेतु प्राचार्य द्वारा प्रतिवेदन विभाग को भेजा जायेगा जिसके आलोक में विभाग द्वारा संबंधित को आवश्यक कार्रवाई हेतु पत्र दिया जायेगा।

(अनुपालन–प्राचार्य, संयुक्त निदेशक (वि०) ,उप निदेशक (यो०) एवं प्रशाखा–4)

vi शेरशाह अभियंत्रण महाविद्यालय, सासाराम के चहारदिवारी के निर्माण में आ रही रूकावट के निराकरण हेतु निदेशक द्वारा समाहर्त्ता, सासाराम से वार्ता किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–संबंधित प्राचार्य,संयुक्त निदेशक (एम०), निदेशक, प्रशाखा–4)

3.2 संस्थानों में 10वीं एवं 12वीं का परीक्षा केन्द्र नहीं बनाये जाने हेतु सभी जिला पदाधिकारी को पत्र विभाग स्तर से पत्र दिये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–उप निदेशक (त0), प्रशाखा–5 तथा 6)

3.3 संस्थानों में द्वितीय वर्ष के पुस्तकों के मानकीकरण हेतु पूर्व में प्रथम वर्ष के लिये गठित समिति को ही कार्य किये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संयुक्त निदेशक (एम०), संयुक्त निदेशक (त०), प्रशाखा–4)

3.4 संस्थानों में नेट/वाईफाई के संबंध में यह निदेश दिया गया कि प्राचार्य उस क्षेत्र में कार्यशील कम से कम तीन एजेंसी का चयन कर उनके द्वारा दी जाने वाली सुविधाओं एवं दर के तुलनात्मक विवरणी तैयार कर विभाग को उपलब्ध करायेंगे। तीन एजेंसीज के कार्यशील नहीं होने की स्थिति में प्राचार्य द्वारा इसे भी स्पष्ट किया जायेगा।

(अनुपालन–सहायक निदेशक (त०), प्राचार्य एवं प्रशाखा–4)

3.5 कतिपय प्राचार्यों द्वारा यह बताया गया कि अस्थायी परिसर में आवश्यक भवनों की कमी होने के कारण क्रय किये गये सभी कम्प्युटर्स का उपयोग नहीं हो पा रहा है। प्राचार्यों द्वारा यह बताया गया कि तत्काल जिन संस्थानों को कम्प्युटर्स की आवश्यकता है उन्हें कुछ कम्प्युटर्स निम्नरूपेण उपलब्ध कराया जा सकता है:–

(क) रा० अभि० महा०, किशनगंज के द्वारा 60 कम्पयुटर्स राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, सुपौल को।

(ख) रा० अभि० महा०, नवादा के द्वारा 60 कम्पयुटर्स राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय बांका को।

(ग) रा० अभि० महा०, शेखपुरा के द्वारा 60 कम्पयुटर्स राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय सहरसा को।

उक्त पर कार्रवाई का निदेश संबंधित प्राचार्यों को दिया गया।

(अनुपालन– संयुक्त निदेशक (एम०), प्रशाखा–4 एवं संबंधित प्राचार्य)

3.6 एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर के द्वारा पठन–पाठन हेतु शिक्षकों द्वारा प्रत्येक अध्याय के लिये तैयार किये गये लेशन प्लान को सभी संस्थानों में लागू किये जाने के लिये निम्न प्रकार से एक समिति गठित किये जाने का निदेश दिया गया :–

— 128

(क) अभियंत्रण महाविद्यालय के लिये–
प्राचार्य, दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय, दरभंगा
प्राचार्य, एम०आई०टी०, मुजफ्फरपुर
प्राचार्य, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय, मोतिहारी

(ख) पोलिटेनिक संस्थान हेतु –
प्राचार्य, सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद
प्राचार्य, राजकीय पोलिटेकनिक, पटना–13
प्राचार्य, राजकीय महिला पोलिटेकनिक, फूलवारीशरीफ, पटना

(अनुपालन–निदेशक, संयुक्त निदेशक (वि०) एवं प्रशाखा–6)

3.7 अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थान के शिक्षकों का Induction प्रशिक्षण कार्यक्रम एन०आई०टी०टी०टी०आर० द्वारा पटना में ही कराये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश संयुक्त निदेशक (त०) को दिया गया।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (त०) एवं प्रशाखा–6)

3.8 संस्थान से उत्तीर्ण छात्रों के नियोजन का भी डाटाबेस तैयार किये जाने का निदेश सभी प्राचार्यों को दिया गया।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (त०), प्रशाखा–6)

3.9 सेवानिवृत शिक्षकों की सेवा लिये जाने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश उप सचिव को दिया गया।

(अनुपालन–उप सचिव/संयुक्त सचिव/स्थापना, राजपत्रित क्षेत्रीय)

3.10 विभिन्न अभियंत्रण महाविद्यालय एवं पोलिटेकनिक संस्थानों के Rationalization हेतु समिति के द्वारा अभियंत्रण महाविद्यालय के विभिन्न पदों को भी Rationalization किये जाने का निदेश दिया गया। गठित समिति के सदस्य संयुक्त निदेशक (त०) एवं प्राचार्य, एम० आई० टी०, मुजफ्फरपुर है।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (वि०) एवं सचिव, रा० प्रा० शि० पर्षद)

3.11 CISCO, Student Credit Card, KYP तथा AICTE की अन्य योजनाओं में छात्रों एवं शिक्षकों की भागीदारी बढ़ाये जाने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संयुक्त निदेशक (त०), प्रशाखा–6)

3.12 दिनांक–18.01.2020 को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, नई दिल्ली द्वारा आयोजित एक दिवसीय कार्यशालय में शिक्षकों के प्रशिक्षण, परिषद की योजनाओं को विस्तृत रूप से सभी सूचनाएं संस्थानों के प्राचार्य एवं उपस्थित शिक्षकों को प्रदान की गयी। इसका अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु विभाग के संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया।

(अनुपालन– संयुक्त निदेशक (त०), प्रशाखा–6)

3.13 बैठक के प्रारंभ में आयकर पदाधिकारियों द्वारा संस्थानों के आयकर, ई–आयकर जमा किये जाने एवं कर्मियों के टी०डी०एस० कटौती किये जाने के संबंध में विस्तृत सूचना प्रदान की गयी। इसका अनुपालपन सुनिश्चित किये जाने का निदेश सभी प्राचार्यो को दिया गया।

(अनुपालन–सभी प्राचार्य)

3.14 राज्य के जिन अभियंत्रण महाविद्यालयों में कम्प्युटर पाठयक्रम स्वीकृत नहीं है, उन संस्थानों में सत्र 2020–2021 से कम्प्युटर पाठयक्रम आरंभ करने हेतु आवश्यक कार्रवाई किये जाने का निदेश प्रदान किया गया। इस हेतु विभागीय स्तर पर निदेशक की अध्यक्षता में संयुक्त निदेशक (वि०) एवं संयुक्त निदेशक (एम०) की समिति गठित कर एक सप्ताह के अन्दर प्रतिवेदन समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया तथा कम्प्युटर सांइस के अध्यापन हेतु पद स्वीकृति की यदि आवश्यकता हो तो, इस हेतु भी संलेख तैयार करने का निदेश दिया गया है।

(अनुपालन–निदेशक, संयुक्त निदेशक (त०), संयुक्त निदेशक (वि०), संयुक्त निदेशक (एम०), निदेशक प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–6)

3.15 राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय, चण्डी, नालन्दा, छपरा, सासाराम, गया, मुजफ्फरपुर, भागलपुर एवं बेगूसराय में सत्र 2020–2021 से बी० आर्क० आरंभ किये जाने के लिये Architecture Council of India के निर्धारित मापदण्ड के अनुसार संस्थानों के स्वीकृत पदों पर मान्यता प्राप्त किये जाने के पूर्व कम से कम 01 शिक्षक की नियुक्ति आवश्यक है। चुँकि उक्त अभियंत्रण महाविद्यालयों में बी० आर्क० पद स्वीकृत नहीं है, अतः यह निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम पद स्वीकृत कराकर एक एक शिक्षक की नियुक्ति एवं अन्य आवश्यक कार्रवाई कर ली जाय। इसके उपरान्त शैक्षणिक सत्र 2021–2022 से बी० आर्क० पाठयक्रम की मान्यता प्राप्त करने एवं पठन–पाठन आरंभ करने की कार्रवाई की जाय।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (वि०), संयुक्त निदेशक (एम०), संबंधित प्राचार्य, प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–6)

3.16 राज्य के TEQIP योजना से अच्छादित 05 संस्थानों यथा दरभंगा अभियंत्रण महाविद्यालय दरभंगा, मोतिहारी अभियंत्रण महाविद्यालय मोतिहारी, गया अभियंत्रण महाविद्यालय गया, नालन्दा अभियंत्रण महाविद्यालय नालन्दा एवं एल०एन०जे०पी०आई०टी०, छपरा में सत्र 2020–2021 से एम० टेक० पाठयक्रम आरंभ करने हेतु AICTE से मान्यता प्राप्त करने के लिये आवश्यक कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

(अनुपालन–संयुक्त निदेशक (वि०), संयुक्त निदेशक (एम०), संबंधित प्राचार्य, प्रशाखा–4 एवं प्रशाखा–6)

अन्त में धन्यवाद के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

03.02.2020
(संजीव कुमार)
निदेशक

3/2/2020
(चैतन्य प्रसाद)
प्रधान सचिव

- 126 -

ज्ञापांक– 354 /पटना, दिनांक– 3-2-2020

प्रतिलिपि : सभी विभागीय पदाधिकारी एवं प्रशाखा पदाधिकारी/प्रधान सचिव के प्रधान आप्त सचिव, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना/सचिव, राज्य प्रावैधिक शिक्षा पर्षद, पटना/सभी प्राचार्य, राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय/परियोजना निदेशक, बी.सी.एस.टी., पटना/कुल सचिव, AKU पटना/टेक्विप समन्वयक, AKU पटना/नोडल पदा0, शैक्षणिक, SPIU पटना/परामर्शी, ट्रेनिंग एण्ड प्लेसमेन्ट/आई० टी० मैनेजर, विज्ञान एवं प्रावैधिकी विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

03.02.2020

(संजीव कुमार)
निदेशक